

O&M/20013/2015
15.06.2015

(17)

2

Date:
Page No.

Neelgagan

सवाम,

कैदीय जनसुचना अधिकारी
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स
दिल्ली - 110001

89/06/15
Rs. 10/- Tax only
(कैदीय) द्वारा टी. वी. वॉ. सं. (223)
10.6.15

Sh. Mahendra
15/6/15

विषय:- जनसुचना अधिकारी अधिनियम के तहत मुझे "रही कागज" अधिनियम "A" कैदगी के वर्क में जानकारी प्राप्त करने हेतु

महोदय,

मुझे "रही कागज" अधिनियम के संकेत में मुझे निम्न जानकारी प्राप्त करने हेतु उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध है।

1) रही कागज "A" कैदगी अधिनियम के संकेत में मैंने राजकुमार इंडिया लि. को व प्रकाशन विभाग के बीच जो शर्तों पर हुआ था, वह मैंने द्वारा हस्तक्षेप करने के पश्चात सम्बन्धित अंगण अधिकारी (जान.) के पास प्रकाशन विभाग के अधिकृत अधिकारी के हस्तक्षेप के लिये जिमा रूप दिया था। मुझे इस एप्लीकेशन की प्रतिलिपि उपलब्ध कराया।

2) मैंने द्वारा (राजकुमार इंडिया लि.) सम्बन्धित अंगण अधिकारी (जान.) के शैक्षणिक नियंत्रक द्वारा सविधा शुल्क/मुद्रण के भाग के कई कोटि डिमाण्ड कि गड चि नियंत्रक लक्ष्य को। तथा इस पर कोई कार्यवाही या कदम उठाये गये थे। यदि डिमांड को हटा दिया जाये तो इस पॉयंट कि तथा स्थिति है।

3) यदि इस लक्ष्य में कोई पॉयंट या कार्यवाही रहे कि गड है तो मुझे कार्रवाई सपष्ट करे।

P.T.O

- 3

Ques. 4) प्रकाशन विभाग द्वारा "शुद्ध भाषण" के लिए निवेदन किछतीस के आंग्रेजि रिजि.

Ques. 5) शुद्ध भाषण निवेदन फॉर्म नियम एवं शर्तों में आंग्रेजि निवेदकों की दरें कितने समय के लिए वैध थीं?

Ques. 6) निवेदन आंग्रेजि होने के पश्चात् कितने समय के पश्चात् सफल पार्टी को अनुबंध आवंटित किया गया।

Ques. 7) तथा आंग्रेजि निवेदन फॉर्म में गुणवत्ता के आधार पर शुद्ध भाषण के लिए दो अलग-2 वर्गों के लिए अलग-2 दरें एक ही निवेदन में मांगी गई थी।

Ques. 8) तथा दोनों वर्गों के पश्चात् "शुद्ध भाषण" के लिए अलग-2 EMD का प्रावधान निवेदन नियम एवं शर्तों में किया गया था।

Ques. 9) यदि उलट नहीं है तो क्या बताया कि फिल-मिड आधारित प्रकाशन विभाग द्वारा एक ही निवेदन व EMD होने के बावजूद दो अलग-2 पार्टियों को म. कैटगरी व डकैटगरी के लिए अनुबंध आवंटित किया गया।

Ques. 10) तथा निवेदन फॉर्म नियम एवं शर्तों में इसका आधिकारिक स्थापना/प्रकाशन विभाग को प्रारंभ था।

Ques. 11) तथा एंग्रेजि होने से पहले सफल निवेदकों को हॉय कुछ आपत्तियाँ दर्ज कि थीं। यदि उलट है तो क्या वह स्थापित व वैध।

3-11-

12) निविदा दस्तावेज में 6000 किंटा "A" केंचरी की मात्रा का उल्लेख था क्या यह सही है।

Gen

13) क्या निविदा के पश्चात जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें भी उसका उल्लेख या शर्त रखी हुई थी।

Gen

यदि उल्लेख है तो क्या शर्त या नियम खंड बतलाए

W.C

14) क्या बतलाए 6000 किंटा "A" रही मात्रा "कितने शरिया में रखा हुआ है या था।

क्या क्षेत्रफल बतलाए जिसमें 6000 किंटा "A" की मात्रा रखा हुआ था।

15) क्या यह बात सही है कि एग्रीमेंट "A" केंचरी की मात्रा लेने के पश्चात ही एग्रीमेंट "A" केंचरी "A" केंचरी निविदा काम भरा था।

Gen

16) यदि उल्लेख है तो क्या बतलाए कि वह जमुना "A" केंचरी का कौन सा था। वह मुझे उपलब्ध कराया जाय।

Gen

17) क्या "A" केंचरी रही मात्रा में गला हुआ पेट दी मक लगी हुआ पेट या खराब की युवा पेट उसके वायर, पथिध, या पेट भाग के वायर आता है।

W.C

अन्यथा

यवदीप

9/06/15

(21/06/15)

5264 भारत नगर पंचायत

सड़क विभाग 110055

फोन 9312405135



भारत सरकार

प्रकाशन विभाग

शहरी विकास मंत्रालय

सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

Website: www.deptpub.gov.in

Email: acop-dep@nic.in (& pub.dep@nic.in

TEL.: 2381 7823 / 9689 Fax: 2381 7846

By speed post

सं. ओ.एण्ड एम./20013/2015

दिनांक 09-7-2015

सेवा में,

श्री राजकुमार

5264, भारत नगर, पहाड़ गंज

नई दिल्ली-110055

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में ।

महोदय,


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आपका पत्र जो इस विभाग में दिनांक 10-6-2015 को प्राप्त हुआ, के संदर्भ में मांगी गई बिन्दुवत् सूचना निम्नलिखित है-

- बिन्दु 1. अनुबन्ध की छाया प्रति दिनांक 24-6-2015 को स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दी गई है ।
- बिन्दु 2. इस प्रश्न से संबंधित सूचना आवेदक के दिनांक 19-5-2015 (जो इस विभाग में 21-5-2015 को प्राप्त हुआ) के सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के बिन्दु सं० 17 द्वारा इस विभाग के पत्र सं० ओ.एण्ड एम./20010/2015 दिनांक 19-6-2015 में पहले ही दी जा चुकी है ।
- बिन्दु 3. उपरोक्त बिन्दु 2 पर दी गई सूचना का अवलोकन करें ।
- बिन्दु 4. रद्दी कागज के लिए निविदा दिनांक 11-02-2014 से 10-3-2014 तक मांगी गई थी ।
- बिन्दु 5. इस प्रश्न से संबंधित सूचना आवेदक के दिनांक 19-5-2015(जो इस विभाग में 21-5-2015 को प्राप्त हुआ) के सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के बिन्दु सं० 11 द्वारा इस विभाग के पत्र सं० ओ.एण्ड एम./20010/2015 दिनांक 19-6-2015 में पहले ही दी जा चुकी है ।
- बिन्दु 6. 104 दिन के पश्चात् निविदा सफल निविदाकार को आवंटित किया गया था । (निविदा 10-3-2014 तक मांगी गई थी एवं अवाई लेटर 23-6-14 को जारी किया था ।)
- बिन्दु 7. इस प्रश्न से संबंधित सूचना आवेदक के दिनांक 19-5-2015 (जो इस विभाग में 21-5-2015 को प्राप्त हुआ) के सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के बिन्दु सं० 5 द्वारा इस विभाग के पत्र सं० ओ.एण्ड एम./20010/2015 दिनांक 19-6-2015 में पहले ही दी जा चुकी है ।
- बिन्दु 8. नहीं ।
- बिन्दु 9. इस प्रश्न से संबंधित सूचना आवेदक के दिनांक 19-5-2015(जो इस विभाग में 21-5-2015 को प्राप्त हुआ) के सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के बिन्दु सं० 7 द्वारा इस विभाग के पत्र सं० ओ.एण्ड एम./20010/2015 दिनांक 19-6-2015 में पहले ही दी जा चुकी है ।
- बिन्दु 10. इस प्रश्न से संबंधित सूचना आवेदक के दिनांक 19-5-2015 (जो इस विभाग में 21-5-2015 को प्राप्त हुआ) के सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के बिन्दु सं० 7 द्वारा इस विभाग के पत्र सं० ओ.एण्ड एम./20010/2015 दिनांक 19-6-2015 में पहले ही दी जा चुकी है ।


- बिन्दु 11. इस प्रश्न से संबंधित सूचना आवेदक के दिनांक 19-5-2015 (जो इस विभाग में 21-5-2015 को प्राप्त हुआ) के सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के बिन्दु सं० 10 द्वारा इस विभाग के पत्र सं० ओ.एण्ड एम./20010/2015 दिनांक 19-6-2015 में पहले ही दी जा चुकी है ।
- बिन्दु 12. इस प्रश्न से संबंधित सूचना आवेदक के दिनांक 19-5-2015 (जो इस विभाग में 21-5-2015 को प्राप्त हुआ) के सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के बिन्दु सं० 2 द्वारा इस विभाग के पत्र सं० ओ.एण्ड एम./20010/2015 दिनांक 19-6-2015 में पहले ही दी जा चुकी है ।
- बिन्दु 13. इस प्रश्न से संबंधित सूचना आवेदक के दिनांक 19-5-2015 (जो इस विभाग में 21-5-2015 को प्राप्त हुआ) के सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के बिन्दु सं० 3 द्वारा इस विभाग के पत्र सं० ओ.एण्ड एम./20010/2015 दिनांक 19-6-2015 में पहले ही दी जा चुकी है ।
- बिन्दु 14. सूचना संरक्षित नहीं है क्योंकि संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रफल की कोई पैमाइश नहीं हुई है ।
- बिन्दु 15. हाँ ।
- बिन्दु 16. राजकुमार ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा 'ए' श्रेणी के रद्दी से संबंधित नमूने लिए गए थे जिसमें किताबे, राजपत्र तथा पत्रिकाओं के नमूने थे ।
- बिन्दु 17. 'ए' तथा 'बी' श्रेणी की रद्दी की परिभाषा से संबंधित जानकारी आवेदक के दिनांक 19-5-2015 (जो इस विभाग में 21-5-2015 को प्राप्त हुआ) के सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के बिन्दु सं० 18 द्वारा इस विभाग के पत्र सं० ओ.एण्ड एम./20010/2015 दिनांक 19-6-2015 में पहले ही दी जा चुकी है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो प्रथम अपिलिय प्राधिकारी/नियंत्रक प्रकाशन से निर्धारित समयावधि में अपील कर सकते हैं ।

भवदीय,


(जी० डी० पाण्डेय)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी


09.07.2015